THE ENVIRONMENT (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 1991

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

RE. NON-INTRODUCTION OF THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1991 (TO AMEND ARTICLE 26)

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं जो संशोधन विधेयक ला रहा था, जिसमें यह कहा गया था "परन्तु यह तब जबकि सभी धार्मिक स्मारकों और पूजा स्थलों की स्थिति और हक, जैसे वे 15 अगस्त, 1947 को थे, बनाये रखे जाएंगे", चूंकि सरकार भी इस ढंग के बिल को इंटरोड्यूश कर चुकी है और मैं मानता हूं कि सारा सदन उसको अनुमति दे देगा, इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस बिल को पुरःस्थापित नहीं करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : महोदय, क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जो बिल डा. बापू कालदते जी का है, इसी को पास स्वीकार कर लें और उसी पर बहस चले ?

THE FINANCIAL RELIEF TO OLD PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990— Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now we shall take up further consideration of the Financial Relief to Old Persons and Widows Bill, 1990. Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : जो इस विभाग के संबद्ध मंत्री हैं, वे तो हैं ही नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The Minister is there.

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh): Two Ministers, the Steel Minister and the Agriculture Minister are there.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Both the Ministers are there.

DR. RATNAKAR PANDEY: They are neither old nor ladies.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी कि राज्य सभा में संबद्ध मंत्री रहते ही नहीं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The Government is represented by two Ministers.

THE MINISTER OF STATE (INDEPEDENT CHARGE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): We will note the points.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The two Ministers are there. Let us start the business.

श्री ईश दत्त यादव :यहां मंत्री लोगों की कुल संख्या 58 है लेकिन यहां पर एक-दो से ज्यादा उपस्थित नहीं रहते हैं। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मुझे लगता है कि यह सरकार के लोग अब होपलेस हो गए हैं इसलिए धीरे-धीरे खिसक रहे हैं।

डा० रत्नाकर पांडेय : सरकार के लोग पांच साल तक शासन करेंगे लोग होपलेस नहीं हैं, लेकिन वृद्धि और महिला दोनों नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shri Pachouri. The two Ministers are there. They will take note of the points, and the Minister will reply in time.

DR. RATNAKAR PANDEY: But they are neither old nor are they ladies.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Who is the concerned Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The Government is represented by two Ministers.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Who will look after the welfare of the Government because the Welfare Minister is not here?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Who has to give pension to old man and widows? That concerned Minister should be here.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): There are two Ministers.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Which Minister will look after the welfare of the Government because the Welfare Minister is not here?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): They will come and look after it. One is old, and the other is a lady. (*Interruptions*).

DR. RATNAKAR PANDEY: We believe in those Ministers, both the Ministers.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले समय हमारे देश में बुजुर्गों और विधवाओं को वित्तीय मदद देने की बात कर रहा था । आज मैं अपनी बात जापान की उस घटना से शुरू करूंगा जो वहां हजारों वर्ष पहले होती थी । वहां यह प्रथा थी कि जो बुजुर्ग लोग थे हजारों वर्ष पहले, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था और जो परिवार उनको नहीं छोड़ता था, उसको दंडित किया जाता था । एक परिवार के सामने बड़ी विकट स्थिति निर्मित हुई । बच्चा अपने घर के एक बुजुर्ग को जंगल में छोड़ने के लिए गया, वह बुजुर्ग भी भारी मन से जंगल की ओर रवाना हुआ । रास्ते में जो पेड़ पड़ते गए, उन पेड़ों की पत्तियां तोड़कर वह बुजुर्ग रास्ते में डालता गया । जब जंगल में वह बुजुर्ग पहुंचा और बच्चे ने उनसे विदा ली तो बुजुर्ग ने बहुत मार्मिक शब्दों में यह कहा कि बेटा तू रास्ता न भूल जाए इसलिए मैं पेड़ की पत्तियां रास्ते में डालकर आया हूं । तू बड़ी हिफाजत के साथ उस रास्ते से जाना कहीं ऐसा न हो कि तू घर का रास्ता भूल जाए । बच्चे को बड़ी दया आई क्योंकि यह बड़े मर्मस्पर्शी वाक्य थे । उसने सोचा कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए लेकिन अब मैं अपने घर के बुजुर्ग को वापिस ले चलता हूं और बुजुर्ग का सम्मान करते हुए द्रवित होकर वह उस बुजुर्ग को वापिस ले आया । जब जापान के उस राजा को यह पता चला तो उसने उसको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कड़ी सजा दूं मैं तुम से यह कहता हूं कि एक राख की रस्सी बनाकर लाओ, बिल्कुल जो मुड़ी हुई हो । बच्चा बड़ा परेशान हुआ । बुजुर्ग के पास आया कि पिताजी, राख की रस्सी कैसे बनेगी ? बताइए । मुझे यह कहा गया है उसने कहा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है । गांव में जो मंज की रस्सी होती है—खाज की, उसमें जो एंठन होती है, तुम उस रस्सी को यों मोड़ो-- चक्राकार और एक कोना जला दो, वह पूरे जलते-जलते दूसरे कोने तक पहुंच जायेगी और वह बिल्कुल वैसा ही आकार ले लेगी जैसा आकार उस राजा ने कहा है और राख बन जायेगी । वैसा ही करके वह राख की रस्सी को राजा के पास ले गया, राजा समझ गया । फिर उसने कहा कि अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें कोई और दण्ड देने की बात कहूं, तुमसे एक और इम्तहान की बात करता हूं – एक ऐसा ढोल बनाओ जो बगैर बजाये बजता रहे । बच्चा फिर बहुत परेशान हुआ, फिर अपने घर के बुजुर्ग के पास कहने लगा पिताजी, फिर मेरा दूसरा इम्तहान है । तो बुजुर्ग ने कहा कि कोई ऐसी समस्या नहीं है । जो पुराना ढोल होता है, जिस पर एक तरफ चमड़े का हिस्सा बंधा रहता है, उसको ले आओ, दूसरी तरफ उसे खुला रहने दो और जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं उसमें भरदो तथा दूसरी तरफ से बन्द करदो । उसने वैसे ही किया तो वह ढोल बगैर बजाये बजने लगा । वह राजा के पास ले गया और कहा कि मैंने ऐसा ढोल बनाया है जैसा आपने आदेश दिया था, जो बगैर बजाये बज रहा है । तो महोदय, वह राजा समझ गया । उसने कहा कि अच्छा यह बताओ कि यह दोनों विधियां तुमने किससे पूछी; सो उसने कहा कि राजा साहब, डरे हुए मन से मैं आपको यह रहस्योद्घाटन कर रहा हूं कि यह केवल मेरी बुद्धि की बात नहीं थी, यह तो मेरे बुजुर्ग

[श्री सुरेश पचौरी]

पिताजी जिनको मैं छोड़ने जंगल गया था लेकिन द्रवित होकर जिन्हें मैं वापिस ले आया था, यह केवल उनकी बुद्धिमानी है, उनकी दी हुई सीख है जिसके आधार पर मैं उस इम्तहान में पास हुआ हूं, जो इम्तहान आपने मुझसे लिया था। यह सुनकर राजा ने बुजुर्गों को जंगल भेजने की प्रथा बंद कर दी। महोदय, कुछ ऐसी ही स्थिति बुजुर्गों की है, हमारे देश में। उनका देश निकाला न होकर घर निकाला हो रहा है।

जब हम इस बिल पर यहां चर्चा कर रहे हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम बुजुर्गों के अनुभवों का ठीक ढंग से लाभ लें। चीन में एक कहावत है, वहां की मैंग्जीन मेरे पास है, जिसमें यह लिखा गया है :

"If you wish to succeed, consult three old people."

यह एक चायना की कहावत है और हमारे यहां भी यह मान्यता है कि घट-नाक्रमों से गुजरते हुए जो अनुभव बुजुर्गों के होते हैं यदि उन अनुभवों का हम सही ढंग से लाभ ले पायें तो निश्चित रूप से हम देश के कल्याण के लिए और देश की प्रगति के लिए और इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सब कैसे हो? जब हमारे देश के बुजुर्गों की मानसिक स्थिति अच्छी हो, जब हमारे देश के बुजुर्गों की शारीरिक स्थिति अच्छी हो, जब किसी भी ढंग से वह अपने आपको अपमानित महसूस नहीं करेंगे, जब उनमें अपने आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, जब वे अपने आपको नेगलेक्टिड महसूस नहीं करेंगे तब उनके अच्छे अनुभवों का लाभ हम सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने देश को दे सकते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उन बिन्दुओं पर विचार करें, उन परेशानियों पर नजरें दौड़ायें जिन परेशानियों का सामना हमारे देश के बुजुर्गों को करना पड़ रहा है।

महोदया, हमारे देश में यद्यपि बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, लेकिन यह सम्मान तब ज्यादा था जब देश में संयुक्त परिवार का सिस्टम था। आज एकाकी परिवार का सिस्टम हमारे देश में हो रहा है, मौडर्न युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम ऐसी पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं कि अपने घर में कोई बुजुर्ग होता है, मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमारे परिवार में बोझ के रूप में यह बुड्ढा मौजूद है, यह कब मर जाये तो हमारा तन कटे। यह हमारे मन की एक भावना है और बुजुर्ग लोग भी बड़ी मानसिक पीड़ा का शिकार होते हैं। कई ऐसे प्रकरण हैं। मेरे पास तो इतने पत्र आये हैं और केशरी जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। महोदय, ऐसे कई प्रकरण हैं। मेरे पास कई पत्र आए हैं और केशरी जी के लिए भी कई पत्र आए हैं, जो मैं उन्हें दे दूंगा। महोदय, हमारे देश के बुजुर्गों को जब यह पता लगा कि उनको वित्तीय मदद दिए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पर संसद में विचार हो रहा है तो उन्होंने बड़े भावना पूर्ण पत्र लिखे हैं कि चलिए देर आयद दुरुस्त आयद, शायद सरकार इस बारे में विचार करेगी लेकिन महोदय, किन पहलुओं पर विचार किया जाए, यह गौर करने की बात है।

महोदय, आज हमारे देश में बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, विधवा महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। विधवा महिलाओं और बुजुर्गों की यह हालत क्यों हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि में मैं पिछली बार गया था लेकिन उनके लिए क्या किया जाना चाहिए यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, विशेष रूप से जो मिडिल क्लास के बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने सम्मान की भी रक्षा करनी होती है। उनमें से अधिकतर सेकेंड क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और जब वे रिटायर होते हैं तो वे ऐसी स्थिति में नहीं होते कि अपना मकान बना लें या ऐसी व्यवस्था कर लें कि इतना पैसा उनको मिले और वे आराम से रहें। वे आश्रित हो जाते हैं अपने

बच्चों पर और चूंकि अब एकाकी परिवार का सिस्टम आ गया है और घर के लोग और विशेष रूप से बहू सोचती है कि यह जो बुजुर्ग हमारी स्वतंत्रता में बाधक बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, यह कब स्वर्गलोक जाए और उन्हें स्वतंत्रता मिले। कई बुजुर्ग तो कहते हैं कि–भइया आपको क्या बतायें, मेरी पत्नी भी मेरी बहू और बच्चों से मिल गई है। यह इसलिए होता है कि उन बुजुर्गों के पास जो पैसा रहता है वह पैसा उन बच्चों को कब मिलेगा? वह तब मिलेगा जब वह स्वर्ग सिधार जायें। इसके पीछे यह पैसे का लालच है।

इसलिए ऐसे ऐक्ट बनने चाहिएं जिनके माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। यदि कोई बुजुर्ग यह शिकायत करे कि मुझे यातनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस ऐक्ट का सहारा लेते हुए उन परिवारजनों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। ये बुजुर्ग लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं और कभी-कभी तो यहां तक होता है कि उनके बच्चे ही उनकी पिटाई करते हैं और वे बेचारे घर छोड़कर भाग जाते हैं और बच्चे उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बुजुर्ग अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। इसलिए इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि वर्ल्ड असेंबली ने इस बारे में जो रिकमेंडेशंस की हैं, मंत्री जी उनको देखें और हमारे देश की परिस्थितियों के आधार पर, हमारे देश में जो वातावरण है उसके आधार पर उन संस्तुतियों पर किस हद तक अमल किया जा सकता है, इस पर गौर करें।

महोदय, बुजुर्ग लोगों की क्या इच्छा होती है? बाद में वे आध्यात्म की ओर जाते हैं, सोचते हैं चलो अब सारे तीर्थ-स्थान घूम लें लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि उन्हें रेल यात्रा और बस यात्रा में कंसेशन दिया जाए। महोदय, हमारे यहां औसत आयु 60 वर्ष हो गई है, विदेशों में यह 65 वर्ष है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिन लोगों ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र पार कर ली है, उनको आप रेल यात्रा और बस यात्रा में कंशेशन दें। इससे ज्यादा वित्तीय संकट पैदा नहीं होगा और बुजुर्गों को भी कुछ सुविधा मिलेगी।

महोदय, बुजुर्ग फालतू नहीं घूमते। वे सोचते हैं कि किस ढंग से समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, यूटिलाजेशन हो। इसलिए उनके लिए होस्टल बनने चाहिए। इसमें सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, ऑन पेमेंट वे उसमें रहेंगे लेकिन परिवार से जो उन्हें प्रताड़ना मिल रही है, जो उलाहने मिल रहे हैं, उससे वे बच सकेंगे और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। "पे एंड स्टे" आधार पर वे उन होस्टलों में रहेंगे। हमारे यहां दिल्ली में करीब 16 गर्ल्स होस्टल हैं लेकिन वहां उतनी लड़कियां नहीं रह रही हैं। दूसरी ओर वृद्ध लोगों के लिए पूरे देश में एक भी होस्टल नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूरे देश के स्तर पर उनके लिए होस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, मानसिक रूप से ये लोग जिंदगी से परेशान रहते हैं और शारीरिक रूप से वृद्धावस्था की वजह से कमजोर हो जाते हैं और इनको ज्यादा ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये लोग अस्पताल जाते हैं, वहां इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं रहती। बाकी लोगों के लिए व्यवस्था रहती है–यह फ्रीडम फाइटर्स के लिए रूम है, यह वी०आई०पी० लोगों के लिए रूम है, यह अफसर लोगों के लिए रूम है लेकिन वृद्धों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसलिए मेरा सुझाव है कि हास्पिटल में उनके लिए भी अलग से कुछ कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जब ये बीमार बजुर्ग लोग वहां जाएं तो उनका सही ढंग से इलाज हो सके। इस संबंध में सरकार को पहल करनी चाहिए।

महोदय, बुजुर्गों को इनकम टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए ताकि कम से

[श्री सुरेश पचौरी]

कम वे अपनी गुजर-बसर आसानी से कर सकें। भले ही आप उसमें उम्र की सीमा बढ़ा दीजिए। आप 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स में कंसेशन दे दीजिए।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ डे केयर सेंटर्स भी खोलने चाहिएं ताकि बुजुर्ग लोग अपना स्पेयर टाइम वहां बिता सकें और अपना मनोरंजन कर सकें। वहां उनको स्टडी वगैरह करने के लिए पुस्तक, पत्र-पत्रिकायें आदि भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वृद्ध लोगों के लिए ओल्ड ऐज होम्स स्कीम सरकार प्रारंभ करे और यह स्कीम सभी राज्यों में प्रारंभ की जानी चाहिए। इसी तरह से जो 'होस्टल' बनें उनमें आन पेमेंट रहने की व्यवस्था हो और उनको "नो प्राफिट नो लास" बेसिस पर चलाया जाना चाहिए। महोदय, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि यह बहुत भावनात्मक मामला है। महोदय, अमीर, अमीर ही रह जाता है और गरीब सारी जिंदगी गरीब बना रहता है लेकिन जो जवान होता है उसे कभी न कभी बुजुर्ग होना पड़ता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है कि अमीर तो गरीब नहीं होगा लेकिन जवान को एक दिन बुजुर्ग जरूर होना पड़ेगा।

इसलिए जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बड़ी संवेदनाओं के साथ हमको चर्चा करनी पड़ेगी और हमें उन सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा जो इससे संबंधित हैं। हमें बुजुर्गों की सारी परेशानियों पर गौर करना पड़ेगा।

महोदय, मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे यहां जो एकाकी परिवार की प्रथा प्रारंभ हुई हैं, संयुक्त परिवार से हटकर, वह प्रथा बहुत हद तक पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है। हम हर चीज में विदेशों की नकल कर रहे हैं। बुजुर्गों से पीछा छुड़ाने में हम विदेशों की नकल कर रहे हैं लेकिन विदेशों में बुजुर्गों को और विधवाओं को क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आदरणीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह देखेंगी कि विदेशों में विधवा महिलाओं को किस ढंग से फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही और उनकी इकोनोमकली और साइकोलाजिकली कोई प्राब्लम न आए, इस बात को किस ढंग से सुनिश्चित किया जा रहा है। वृद्धों के लिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है ? वहां एक नेशनल रिटायरमेंट पेंशन स्कीम प्रारंभ हुई है। माननीया मंत्री जी जरा उस पर गौर करें और अगर हमारे देश में वह स्कीम लागू हो सकती है तो उसको प्रारंभ करें। युनाइटेड स्टेट्स में ओल्ड ऐज असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहा है, मंत्री जी उसकी स्टडी करें और उसके जिन बिंदुओं को हमारे देश में लागू किया जा सकता है, उन पर गौर फरमायें। यूरोपियन कंट्रीज में जो वृद्ध लोग हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की दृष्टि से कई प्रकार के हाऊसिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और वहां तो यह भी व्यवस्था है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके लिए उनकी कीमतें फिक्सड हैं। जसा फ्रीडम फाइटर्स के लिए है कि वह एसेन्शियल कामोडीटीज इस रेट पर मिलेगी वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी रेट फिक्स होने चाहिएं कि इस प्राइस पर यह चीज मिलेगी जिनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा हो गई है। वे बुजुर्ग जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं उनको यह परेशानी हो जाती है कि वे अपना जीवनयापन किस ढंग से करें। उनकी रोजी-रोटी किस ढंग से चले। यदि उनको रोजमर्रा की चीजों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करायेंगे। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसके लिए जो युनाइटेड स्टेट्स की स्कीम है उसको देखें। वहां पर उनके लिए मेडिकल केयर की व्यवस्था है। साथ ही कंज्यूमर इंडेक्स बना हुआ है। वह भी जरा देखें। इसी प्रकार से फ्रांस में, नार्वे में उनके लिए जो 70 साल से ऊपर के हो गये हैं उनको पेंशन के लिए एनटाइटल्ड किया गया है यद्यपि हमारे देश में भी यह कहा गया है लेकिन जो उनको पेंशन दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। उसमें बढ़ोत्तरी किया जाना बहुत जरूरी है।

3 P.M.

एक तरफ हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वे अपमानित हो रहे हैं दूसरी तरफ उनकी इकोनोमिक हालत भी दयनीय है, इकोनोमिक कंडीशन बहुत खराब है। जब ये अपनी सारी प्रोपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं तो बच्चे शादी होने के बाद बदल जाते हैं और बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं। बुजुर्गों को कई बार भिखारी बनना पड़ता है। जो देश की भिखारी की समस्या है उससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम बुजुर्गों की वित्तीय मदद करें ताकि वे भिखारी न बन पायें।

हमारे यहां जो सुसाइड करने वालों की संख्या है उनकी उम्र पर भी जरा गौर करें। सुसाइड करने वालों की संख्या में ज्यादा प्रतिशत उन लोगों का है जो 70 वर्ष की उम्र पार कर गये हैं जो बुजुर्ग हैं। इसलिए सुसाइड करने वालों की संख्या न बढ पाये इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में बुजुर्गों को जहां पर्याप्त सम्मान दे वहां उन्हें पर्याप्त आर्थिक मदद दें। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

अब मैं विधवाओं की बात करना चाहता हूं। हमारे देश में यद्यपि राष्ट्र निर्माता बापू ने कहा है कि नारी का सम्मान किया जाना चाहिये और विशेष रूप से उस नारी की रक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिये जो नारी उपेक्षित है, दया की पात्र है। यदि हमारे देश में सबसे ज्यादा उपेक्षित नारी कोई है, दया की पात्र कोई है तो वह विधवा नारी है। एक तरफ तो विधाता ने उनके साथ अन्याय किया हुआ है कि उसका पति छीन लिया जाता है और दूसरी तरफ समाज उसके साथ अन्याय करता है। समाज के अन्याय से बच सके, समाज के जुल्म से बच सके, उसका शिकार न हो पाये इस बारे में हम को विचार करने की जरूरत है। हमारे यहां कुछ ऐसी परम्परायें रही हैं कि यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसके प्रति दया करना तो अलग बात है बल्कि उसे उलाहना देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तू ऐसी बदकिस्मत आई है कि मेरी औलाद ले गई, उसका निधन हो गया। यह अपशकुन है ऐसा माना जाता है। घर में जब वह यह सब सुनती रहती है, सुनती रहती है तो वह परेशान हो जाती है और वह घर छोड़ कर चली जाती है। पर घर छोड़ने के बाद भी जाय कहां? हमारी सामाजिक व्यवस्था ही कुछ इस ढंग की है कि वह भरोसे और विश्वास के साथ कहीं रह नहीं पाती। आये दिन उस पर बड़े अत्याचार होते हैं। अत्याचार की कार्रवाई से निपटने के लिये जब वह पुलिस स्टेशन जाती है तो वे नरपिशाच पुलिस वाले भी उसके साथ अत्याचार करते हैं। आखिर वह रहे कहां? इसीलिये मजबर होकर मथुरा और वृन्दावन जैसे नगरों में चली जाती हैं। मथुरा और वृन्दावन में इन महिलाओं की हालत देखोगे तो सहज ही आपकी आंखों में आंसू टपक पड़ेंगे। दूसरा विवाह करने की हमारे यहां प्रथा नहीं है। यद्यपि हमारे समाज सुधारकों ने बहुत सारी व्यवस्थायें, प्रथायें बना रखी हैं लेकिन उसका दूसरा विवाह करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका पहला विवाह हो चुका है। सामाजिक दृष्टि से उसका दूसरा विवाह ठीक नहीं माना जाता। जो हमारे समाज सुधारक हैं उन्हें निश्चित रूप से इन विधवाओं के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। एक तरफ तो वह विधाता की शिकार हुई है और दूसरी तरफ हमारी सामाजिक व्यवस्था की शिकार हुई है। इनको यदि हम पर्याप्त वित्तीय सहायता दे पायें सरकार की तरफ से तो निश्चित रूप से हम उनके प्रति एक बहुत बड़ा कल्याणाकारी कदम उठायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विदेशों में भी जहां मैंने बुजुर्गों का जिक्र किया वहां विधवाओं के लिये भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा और उन देशों का जिक्र करना चाहूंगा जहां विधवाओं के लिये बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। विधवाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के पालन-पोषण की रहती है, उनकी शिक्षा की रहती है। इसलिये जहां हम फ्री एजूकेशन की

[श्री सुरेश पचौरी]

बात कर रहे हैं, एजूकेशनल सिस्टम में बहुत कुछ सुधार की बात कर रहे हैं, एडमिशन में प्राथमिकता और वरीयता की बात कर रहे हैं और जहां हम उन लोगों को प्राथमिकता और वरीयता देते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं, जो शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं वहीं ऐसा क्लाज भी होना चाहिये, कम से कम हायर सेकेन्डरी तक विधवाओं के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाये क्योंकि विधवा के सामने सबसे बड़ी परेशानी वित्त की होती है । उसके पास सुहाग की कोई निशानी होती है तो वह उसके बच्चे होते हैं । अपने पति की याद के रूप में कोई चीज रहती है तो वे उसके बच्चे रहते हैं । उस पति की याद करके वह उनका पालन-पोषण करती है और उसकी कल्पना रहती है, उसकी इच्छा शक्ति रहती है और उस इच्छा शक्ति के पीछे यह दृढ़ भावना रहती है कि उसके बच्चे पढ़े-लिखें और बड़े होकर अच्छे अफसर बनें, अच्छी खासी स्थिति में आ जायें और अपने परिवार की शान बढ़ा सकें, उसके पति का नाम बढ़ा सकें । लेकिन उसके सामने वित्तीय संकट होने की वजह से वह अच्छा नहीं पढ़ा पाती है । उसके सामने आवासीय समस्या रहती है । ऐसी स्थिति में फ्लेटस के आबंटन में विधवाओं को प्राथमिकता और वरीयता दी जानी चाहिये, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है । विदेशों में भी ऐसा होता है । ब्रिटेन में इसी ढंग की व्यवस्था है । निश्चित रूप से ये दोनों चीजें बहुत चुभने वाली हैं । हमारे देश में भिन्न-भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में जहां अपनी परम्परा है, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ इस ढंग की है कि भिन्न-भिन्न वर्ग और संस्कृति को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं । लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे देश की अहम समस्या है और उस समस्या से पीड़ित जो वर्ग है उसका जिक्र मैंने किया है । यदि इस वर्ग के लिये इस सरकार के माध्यम से कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से देश का कल्याण कर पायेंगे, इस वर्ग के लिये अगर हम कुछ कदम उठायें तो निश्चित रूप से वह परिणाम निलेंगे जिन परिणामों के निकलने की वजह से हमारा देश प्रगति और विकास की ओर दस्तक देगा । यही कह कर मैं अपने बिल को यहां प्रस्तुत करता हूं ।

The question was proposed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी की चिन्ताओं के साथ अपने को साझेदार करते हुये, चूंकि उन्होंने अपनी बातों को एक कहानी से शुरू किया, मैं भी चाहती हूं कि मैं भी कहानी से अपनी बात की शुरूआत करूं । मुझे याद आती है हिन्दी के जाने-माने कथाकार भीष्म साहनी की एक बहुत ही चर्चित कहानी है, चीफ की दावत । कहानी इस प्रकार है । इस कहानी में होता यह है कि एक आफिस का बाबू अपने चीफ को घर पर खाने के लिये निमंत्रण देता है । पति-पत्नी इस बात के लिये बैचेन रहते हैं कि चीफ आने वाला है, वे अपने घर को किस तरह से सुज्जित करें, घर को किस तरह से ठीक-ठीक किया जाये । सारा घर सजाने के बाद अचानक उनकी नजर अपनी बूढ़ी मां पर पड़ती है और बूढ़ी मां को देखते ही बेटे के होश फाख्ता हो जाते हैं । वह सोचता है, इस बूढ़ी मां का क्या किया जाये ? यह बूढ़ी मां सारी इज्जत पर पानी फेर देगी । जैसे ही चीफ के आने का समय होता है तो कोई रास्ता न देखकर उस बूढ़ी को अपने घर के पिछवाड़े की कोठरी में बन्द कर देते हैं । लेकिन घटनाक्रम में यह होता है कि बूढ़ी मां अपनी खांसी रोक नहीं पाती और खांसी की आवाज सुन कर चीफ उस कोठरी में चला जाता है । लेकिन बूढ़ी मां अपनी वाक कुशलता से चीफ की नजरों में अपने बेटे की शोभा बढ़ाती है घटाती नहीं है । भीष्म साहनी की यह कहानी हमारे आज के

समाज की उस यथार्थ का प्रतिबिम्बन है, उन मूल्यों की प्रतिछवि है जो हमारे समाज में प्रचलित है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में आज तक हमारे जितने रिश्ते थे, जो हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, जो हमारे सामाजिक संबंध थे, उनको हम ऊंची नजर से देखते थे, लेकिन आज वे सारे रिश्ते अपने पुरातन मूल्यों को खोते जा रहे हैं। मुझे याद आता है मार्क्स का वह कथन जो उन्होंने पूंजीवादी समाज के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में सारे के सारे माननीय संबंध सिर्फ रुपये कौड़ी के और हृदय-शून्य व्यवहार में बदल जाते हैं । आज हमारे समाज की यह हालत है कि घर में जो उत्पादक इकाई है उसका मान-सम्मान है और जो अनुत्पादक इकाई है उसका कोई मान-सम्मान नहीं है । एक समय था जबकि हमारे समाज में संयुक्त परिवार प्रथा थी। इस संयुक्त परिवार प्रथा के जहां बहुत से लाभ थे वहां इसके कुछ नुकसान भी थे । लेकिन आज वह संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है । हालांकि संयुक्त परिवार प्रथा टूटने से व्यक्ति को अपनी निजी स्वतंत्रता मिल रही है लेकिन साथ ही साथ जो हमारे समाज की अनुत्पादक इकाई है, जो बूढ़े लोग हैं, उनके भविष्य के लिये खतरा पैदा होता जा रहा है । हमारा समाज, जिस समाज का 80 प्रतिशत हिस्सा खेती पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है उस समाज में पेंशन आदि की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से कम होती है । तो ऐसे समाज में हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से जो बूढ़े हैं, जिनकी समस्यायें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं, उसका कैसे निराकरण हो । सारी दुनिया में विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न चिंतकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों ने इस समस्या की ओर अपना ध्यान दिया है । दुनिया के जो विकसित देश हैं वे भी इस वार्द्धक्य की समस्या का गहन चिंतन और मनन किये जा रहे हैं । हमारे देश और अन्य विकासशील देशों में इस दिशा में चिंतन और मनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 1970 में सारी दुनिया में 26 करोड़ 80 लाख लोग 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं । यानी की कुल आबादी का 8 प्रतिशत हिस्सा बूढ़े लोग हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार सन 2000 में 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों की संख्या 58 करोड़ हो जायेगी, जो पूरी मानवता की संख्या का 9.5 प्रतिशत होगा । भारत के बारे में अनुमान है कि सन 2000 तक भारत से की आबादी में 60 वर्ष में अधिक आयु के लोगों की संख्या 7 करोड़ होगी जो हमारी आबादी का 7 प्रतिशत होगी । इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए निश्चित रूप से हम वार्द्धक्य की समस्या का समाधान तत्काल नहीं कर सकते हैं । हमारे देश में इस दिशा में हमेशा से चिंता जाहिर की गई है । हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बारे में चिंता जाहिर करते हुये कहा गया है कि :

> "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and t opublic assistance in cation and to public assistance in sickness and disablement and in other cases of undeserved want."

उसके बाद हमारी तीसरी योजना, चौथी पंच वर्षीय योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगातार इस बात पर चिंता जाहिर की गई । सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक सब ग्रुप तैयार किया गया और उस सब-ग्रुप ने कई सिफारिशें दी कि बूढ़े लोगों की समस्याओं के लिये क्या किया जाना चाहिये । यह इन सिफारिशों में कहा गया । पहला था—

> "To frame a national policy for the aged, setting up a national council on ageing, providing service to the elderly in both rural and urban areas, covering all the destitutes under the Aged Pension Scheme, promoting voluntary efforts, having

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

a national survey to identify the problems and needs of the aged and utilising the aged for national development."

तो निश्चित रुप में ऐसा नहीं हैं कि हमारी सरकार ने इस विषय में ध्यान नहीं दिया । हमारा समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस दिशा में काम करता रहा है। राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड भी इस दिशा में अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहे हैं । तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आज जो वार्द्धक्य की सीमा, उनकी समस्यायें लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में हमारे लिये जरूरी होता है कि जितने अध्ययन किये गये, जितनी सिफारिशें की गई, हमारे योजना आयोग ने भी एक ग्रुप तैयार किया था और उस ग्रुप की सिफारिशें अब तक हमारे योजना आयोग के विचाराधीन हैं कि उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाय या नहीं । मैं माननीया मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगी कि क्या वह जो सिफारिशें थी उन पर कोई निर्णय लिया गया है या नहीं लिया गया है ? वार्द्धक्य की समस्या निश्चित रूप में हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आबादी का सात या आठ प्रतिशत हिस्सा इस समस्या से गुजर रहा है । अक्सर यह देखा जाता है, हम यह देखते हैं कि एक ईमानदार अफसर भी जब 58-59 वर्ष तक जाने लगता है तो अपने भविष्य के बारे में चिंतित होने लगता हैं और इधर-उधर हाथ पांव मारने की कोशिश करता है कि क्या होगा । मैं यह समझती हूं कि अगर सरकार बूढ़ों की सुरक्षा के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी रख तो शायद अपने समाज में भ्रष्टाचार को भी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे । इसलिये यह बहुत जरूरी है और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार ने बूढ़े किसानों के लिये पेंशन की व्यवस्था की । यह बहुत जरूरी है, हमारे देश की 80 फीसदी आबादी यदि गांवों में रहती है जो हमारी अर्थ व्यवस्था की बुनियाद खड़ी करती है तो किसानों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी को जाहिर करना होगा और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी को जाहिर करना होगा । इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि वार्धक्य के बारे में एक राष्ट्रीय नीति अपनाई जाय, कोन सी राष्ट्रीय नीति अपनाई जाए राष्ट्रीय नीति क्या होगी, किस दृष्टि से हम उनकी समस्याओं को देखेंगे उसके तहत जो भी कार्यक्रम सुझाये जायें। यह आवश्यक है, जैसे कि माननीय सदस्य सुरेश पचौरी जी ने कहा, मैं भी उनकी चिन्ता के साथ अपनी साझेदारी करना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को इसके लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये । जो सहायता दी जाती है वह बहुत कम होती हैं । इस संबंध में राज्य सरकारों को ज्यादा वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही विधवाओं की समस्या आती है । उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जहां महिलायें सब से उपेक्षित, वंचित और पीड़ित हैं, वहां अगर वह विधवा हो तो फिर उसके लिये समस्याओं का कोई अन्त नहीं होता । इस बारे में मैंने अभी दो दिन पहले ही जब ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की 100वीं पुण्य तिथि के संबंध में विशेष उल्लेख किया था तो मैंने उस दौरान यह कहा था कि हमारे देश के विभिन्न समाज सुधारकों ने ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ज्योति बा फुले ने विधवाओं की समस्याओं की ओर हमारे समाज का ध्यान आकर्षित किया था । ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से हमारे देश में 1856 में विधवा विवाह कानून बना । लेकिन कानून बन जाने से ही समाज का यथार्थ नहीं बदल जाता है, समाज की समस्यायें दूर नहीं होती है । यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन कानूनों के प्रति हमारे समाज को जागरूक किया जाय, समाज की चेतना को बढ़ाया जाय, जिस काम में सरकार नितांत असफल रहती है । विधवाओं की समस्याओं का जहां तक

सवाल है, इसके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू हैं। आर्थिक पहलू तो सर्वविदित है और उसके बाद सामाजिक पहलू हैं कि हमारे समाज का विधवाओं के प्रति क्या नजरिया है। एक ऐसा समाज है जिसमें आज भी सामंती शक्तियां अपनी जकड़बन्दी बनाये हैं। एक तरफ सामंती समाज की जकड़बन्दी है और दूसरी तरफ पूंजीपति समाज की। इन सामंती और पूंजीवादी समाज की चक्की में हमारा महिला समाज है। फिर विधवाओं की जो स्थिति है वह तिगुना ही करुणाजनक होती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में महिलाओं की आबादी में 9 प्रतिशत हिस्सा विधवाओं का है। श्री सुरेश पचौरी जी ने काशी का नाम लिया, वृन्दावन का नाम लिया। बनारस जैसा शहर है, पांडेय जी वहां से आते हैं, वे अच्छी तरह जानते होंगे कि विधवाओं की क्या स्थिति है। एक समय में काशी को विधवाओं की नगरी कहा जाता था कहा जाता है कि विधवाओं को देखना हो तो काशी चले जाइये। वहां उनकी हालत आज भी वैसी ही बदतर है। दिन भर महिलायें वहां हरिभजन करती हैं। 5,6–8 घंटे हरि भजन करें तो 2–4 या 5 रुपये मिलते हैं। इतना ही नहीं इन विधवाओं की बच्चियों से कम्पोजीटर्स का काम लिया जाता है। वे बच्चियां जो निरक्षर हैं पढ़ना नहीं जानतीं, चूंकि उन्होंने अक्षरों को पहचान लिया है इसलिये अक्षर के पहचान की कीमत पर कम्पोजीटर्स का काम करती हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। इसलिये यह जरूरी है कि विधवाओं की समस्याओं की ओर हमारी सरकार अच्छी तरह से ध्यान दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारे समाज कल्याण बोर्डों को और समाज कल्याण विभाग को जिस तरह से इस दिशा में काम करना चाहिये था वह अब तक नहीं हुआ है। इसलिये समाज निश्चित रूप से विधवाओं के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर करता है। विधवाओं में एक तो बूढ़ी विधवायें हैं और दूसरी कम उम्र की विधवायें हैं। आज कितने प्रतिशत में ऐसे विधवायें हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। आज भी बाल विवाह के चलते बहुत बड़ा महिलाओं का प्रतिशत ऐसा है जो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और कम उम्र में विधवा हो जाने के बावजूद उनकी फिर से शादी नहीं होती। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने अपने काल में एक अभियान चलाया था विधवा विवाह के लिये, आज भी उस बात की जरूरत है। हमारे जन प्रसार माध्यम महिलाओं के विषय में बाल विवाह रोकने के लिये और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिये अपनी भूमिका को निभायें। लेकिन हमारा जन प्रसार माध्यम महिलाओं की जो छवि दिखाता है वह भी अनुकरणीय छवि नहीं है। इसलिये विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिये, कम उम्र में जो विधवायें हो जाती हैं उनकी जिन्दगी में और ज्यादा सुरक्षा देने के लिये उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने की जरूरत है सरकार को। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि वे विधवाएं जो बूढ़ी हो जाती हैं उनकी समस्याएं और भी ज्यादा होती हैं व अनपढ़ होती हैं निरक्षर होती हैं आर्थिक रूप से वे आत्मनिर्भर नहीं होती हैं ऐसे में जरूरी है कि समाज कल्याण विभाग इस तरह की योजनायें बनायें जो हमारी महिलाओं को स्वरोजगार अथवा अन्य योजनाओं के जरिये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। आर्थिक रूप से उन को अपने पैरों पर खड़ा करने का थोड़ा सा साधन अगर हम मुहैया करा देते हैं तो यह उनकी जिन्दगी के लिये उनके भविष्य के लिये उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और वे समाज के उत्पीड़न से समाज की लांछना से बच सकती हैं। इसलिये एक ओर तो आर्थिक रूप से लाभ पहुचने का काम भी सरकार का है और दूसरी ओर समाज में संस्कृति, सामाजिक चेतना पैदा करने का काम भी हमारी सरकार का है। मैं एक बार फिर हमारी मंत्री महोदया से अपील करना चाहूंगी कि वे इस विधेयक की जो मूल भावना है उसको समझते हुये, हमारे देश में

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

वार्धक्य की समस्या को रोकने के लिये, वार्धक्य के भविष्य को सुरक्षा देने के लिये, बूढ़े लोगों की जिन्दगी में एक खुशी की किरण देने के लिए तथा विधवायें बेरोजगार के चलते और आत्मनिर्भर हो सकें, अपनी जिन्दगी की उपेक्षा कर लांछन से न जियें बल्कि जिन्दगी को एक इंसान की तरह जी सकें, इसके लिये जल्द से जल्द ईश्वर चन्द्र विद्या सागर की पुण्य तिथि पर विधवाओं के लिये एक नयी योजना तैयार करें। विधवाओं के लिये एक नई योजना तैयार करें ताकि हमारे समाज को इन विधवाओं के प्रति अपनी जो दायबद्धता, अपना जो कर्तव्य है, उसको पूरा करने करने के लिये मौका मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विधेयक की भावना का समर्थन करती हूं।

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो हमारे सदन के माननीय नौजवान साथी भाई सुरेश पचौरी जी-वृद्ध व्यक्ति संरक्षण और कल्याण विधेयक, जिसके द्वारा वृद्ध व्यक्ति गृह स्थापित करके उपेक्षित, अक्षम और वृद्ध व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने और जो ऐसे महिलायें हैं, जो वैधव्य का जीवन जी रही हैं, उनको उचित संरक्षण देने के लिये जो विधेयक लाये हैं-वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय राहत की व्यवस्था विधेयक, 1990-उसके समर्थन के लिये अपनी वाणी और विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि-समस्त देश में करोड़ों वृद्ध और विधवायें हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके आवास की समस्या प्रबल है और आजीविका दोनों के लिये कठिन पहाड़ की तरह खड़ी हैं।

जिन विधवाओं के बच्चे हैं, वे और भी कठिनाई का सामना कर रही हैं और जिन विधवाओं के वृद्ध माता-पिता या सास-ससुर हैं, उनके सामने भी भयानक समस्यायें हैं। आर्थिक स्थिति अत्यन्त कठिन है, उनका भरण-पोषण कठिन है। यह समस्या गांव में भी विद्यमान है। अतः सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिये कि वह वृद्ध व्यक्ति और विधवाओं की सहायता के लिये आगे आये ताकि उन्हें उनके कष्टमय जीवन से उभारा जा सके और इसके लिये वित्तीय ज्ञापन में उन्होंने समाज कल्याण बोर्डस को पर्याप्त निधियां प्रदान करने के लिये पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, साहित्य से शुरू किया था हमारी विरोधी दल की वक्ता ने और मैं भी साहित्य से ही शुरू करना चाहता हूं। वृद्ध के लिये तुलसी दास ने कहा है कि-

"श्रवन समीप भये सित केसा,
मनहु जरठपन अस उपदेसा।"

जरठ माने वृद्धावस्था होती है। कानों के पास जब बाल सफेद होने लगते हैं, तो यह संकेत है कि वृद्धावस्था आ रही है। दशरथ को जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुये, उस समय उनके कानों के समीप के बाल सफेद हो रहे थे और उसी का उल्लेख करते हुये तुलसी दास ने यह लिखा है।

और स्त्री के अस्तित्व के लिये लिखा है-

"जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी,
तैसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी।"

जैसे शरीर बिन प्राण के निर्जीव हो जाता है, उसी तरह नदी जैसे पानी के बिना सूखी हो जाती है, उसी तरह पुरुष न होने से विधवा की स्थिति हो जाती है, स्त्री की हैसियत हो जाती है।

भारत में दिनों दिन वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं विस्तार से डेटा में नहीं जाना चाहता। 1961 में 247 लाख से बढ़कर 1991 में 548 लाख अनुमानित यह संख्या हो

गई है और 2001 तक यह संख्या 775 लाख हो जायेगी। सामाजिक और और आर्थिक तौर पर यह भारत के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है और अधिकांश देशों में वृद्धावस्था की उम्र 55 वर्ष निर्धारित की जाती है क्योंकि वहां लोग स्वस्थ जीवन-यापन करते हैं, भौतिक और आर्थिक कमी नहीं होती है। जमाना बीतने के बाद वृद्ध होते हैं। लेकिन अपने भारत में 60 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई। 55 वर्ष का जीवन भारत में औसतन माना जाता है और वृद्धावस्था में पहुंचकर आदमी स्वावलंबी नहीं रह पाता है, पराश्रित हो जाता है और वृद्धावस्था आने के बाद लगभग 15-16 वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। उस समय उसकी भावनात्मक सुरक्षा, उचित स्वास्थ्य की देखभाल और जो आर्थिक समस्यायें हैं उनकी पूर्ति की जरूरत बहुत अधिक होती है। क्योंकि कहा गया है कि वृक्ष और बच्चों में कोई भेद नहीं होता है। काल अपना काम करता है। समय की गति पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है।

"कबिरा गर्व न कीजिये,
काल गहे कर केस,
का जाने कित मारि है,
का घर का परदेस।"

जो चार स्तंभ माने गये हैं, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और वानप्रस्थ आश्रम, जब एकदम आदमी भगवान का भजन करने लगता है। यह चार वर्ण आश्रम व्यवस्थायें अपने यहां मानी गई हैं। भारतीय परिवार की जीवन प्रणाली में आधुनिकीकरण की जो प्रवृत्ति आई, पहले यहां पिता और मां संतान को इसलिये उत्पन्न करते थे कि उनका विश्वास था कि जब मेरा बेटा मुखाग्नि मुझे देगा तब मुझे मोक्ष मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार की कामना की गई थी। लेकिन अब हम पराश्रित हो गये हैं कि "ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी" खाओ-पीओ और मस्त रहो। अर्थ, धर्म, काम, तीन ही तक अब हम सीमित रह गये हैं। मोक्ष की भावना हम से चली गई है। इसलिये जो वृद्धों की अवस्था है वह काफी दयनीय होती जा रही है। परिवार में उन्हें उपेक्षित जीवन बिताना पड़ता है। भावनात्मक सम्मान न मिलने के कारण वे चिड़चिड़े और कुंठित हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य न मिलने के कारण उनका शरीर ढीला, जर्जर और स्नायु कर्महीन हो जाती हैं। डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था उनके लिये प्रापर ढंग से हो, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी ही चाहिये कि वृद्धों का मानसिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए वृद्धों को उचित चिकित्सा की सर्वजनिक व्यवस्था करने के लिए और उन्हें, वे समाज से उपेक्षित न हों इसलिए सामाजिक स्टेटस देने के लिए और सम्मान देने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें अपना महत्व मालूम हो कि हम वृद्ध होने के बावजूद भी समाज में अपना स्थान रखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वह सभा शोभा नहीं देती जिसमें वृद्ध लोग न हों और वृद्ध लोग उस आसन पर न हों जो प्रेसीडेंट का आसन हो। जो सर्वोच्च आसन हो उस पर न हो और शायद इसीलिये हमारे भारत में आज इस परम्परा का निर्वाह किया जाता है कि जो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस हो, वह वृद्ध व्यक्ति को बनाते हैं ताकि उसके ज्ञान वृद्धता का, अनुभव वृद्धता का, अवस्था वृद्धता का जो लाभ है, उसका निर्णय समाज को मिले। उससे राष्ट्र अनुप्राणित, प्रेरित और नई आशा ले सके। वृद्धों की आर्थिक अवस्था की पूर्ति सरकार को करनी होगी, इसके लिये सरकार को आय के बहुत से स्त्रोत ढूंढने होंगे। संयुक्त परिवार का ढांचा बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और लड़खड़ा गई है वह व्यवस्था जनसंख्या की वृद्धि के कारण और सारी समस्याएं जो पारिवारिक समस्यायें थीं अब वृद्धों की समस्यायें हैं, सरकार की समस्या बननी चाहिये, तब जाकर वृद्धों को सुख-सुविधा औ आनन्द का जीवन मिल सकेगा। आने वाले वर्षों में ये समस्यायें और भी बढ़ेंगी। बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में वृद्धों के लिये पेंशन योजना शुरू की है लेकिन इसके पीछे शुद्धरूप से राज-

[डा० रत्नाकर पांडेय]

नीतिक लाभ उठाने की भावना रही है । वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक स्थिरता प्रदान करने का उसके पीछ कोई लक्ष्य नहीं है । इसी कारण इन योजनाओं की सफलता शुरू से संदिग्ध है । महोदय, मैं विस्तार में जाऊंगा तो आप घंटी बजा देंगे । मेरे पास सन 81 से लेकर अब तक के आंकड़े हैं जिसके अनुसार महाराष्ट्र में 50 रुपये से यह शुरू हुई और आज डेढ़ सौ रुपये के आसपास वृद्ध पेंशन और जो काम करने वाली महिलायें हैं, उनको पेंशन दी जाती है । लेकिन उसमें सत्ता के दलाल लग जाते हैं और वह उन तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं । उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है । वह काम नहीं करने देती हैं । आज इस महंगाई के जमाने में जो कुछ वृद्धों को मिल रहा है, वह भी उन तक नहीं पहुंच पाता है । जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपने विशेष कैटगरी दी है क्योंकि उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, उसी तरह से जितने भी वृद्ध हैं, वह पूजा की वस्तु हैं । वह सभा शोभा नहीं देती जिसमें कि वृद्ध न हों । आज सामाजिक कुटेर, स्वार्थवादिता इस हद तक है कि व्यक्ति में सब कुछ भरकर चाहता है कि जो बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है, वह सब हड़प लें । उसके लिये रोज मनाते हैं कि कैसे उनका निधन हो और संपत्ति के हम वारिस बनें । इस तरह बुजुर्गों की शारीरिक शिथिलता, उनकी मानसिक उपेक्षा, उनकी अनिर्णय की क्षमता और जीवन की कब्र में पांव लटकाये होने के कारण व नदी के किनारे बाढ़ की स्थिति में जर्जर पेड़ जैसी स्थिति होने के कारण वह विवश हो जाते हैं और विवशताओं में उनकी जिन्दगी जीती है । इसलिये सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य प्रशासन गरीब और निराश्रितों को वृद्ध पेंशन देने की व्यवस्था करें । पेंशन की सीमा, दर और पात्रता स्थान-स्थान पर भिन्न है । यह तीस रुपये से सौ रुपये प्रतिमाह तक है और इसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है ।

महोदय, माननीय मंत्री महोदया नोट करें, इसी सदन में सौ करोड़ रुपया आपकी सरकार ने वित्त मंत्री जी ने राजीव गांधी मैमोरियल ट्रस्ट को दिया था । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि वह सौ करोड़ रुपया जो हम लोगों के प्रस्ताव पर लौटा दिया है क्योंकि सदन में जो हम ने कहा कि कोई भीख की जरूरत नहीं है । सरकार किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं देती है । इस तरह का खुश करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिये, नियम में बंधकर काम करना चाहिये । राजीव गांधी के नाम पर एक हजार करोड़ रुपया जुटाया जा सकता है और वह जुटाकर दिखाया जायगा । सरकार की सहायता इसमें नहीं चाहिये । हमने आप को इसके लिये कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया था । अगर आप राजीव गांधी के प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं तो राजीव गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी यदि जो बीस करोड़ रुपया प्रति साल के हिसाब से आपने दिया है, वह रुपया वृद्धों और जो हमारी विधवायें हैं, उनके लिये इस बजट में प्रोवाइड कीजिये । कल्याण मंत्रालय में राजीव विधवा पेंशन स्कीम और राजीव गांधी वृद्ध सहायता योजना बनाकर उसको लागू कीजिये । तब आपका मंत्री होना सार्थक होगा । केवल राजीव गांधी का नाम लेकर रोने से, फुक्का फाड़कर आंसू बहाने से फ़ायदा नहीं है । आपका मंत्री होना तब सार्थक होगा जब आप बीस करोड़ रुपया प्रोवाइड कराइये ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You should speak to me. You should speak to her through me.

DR. RATNAKAR PANDEY: I am requesting the Minister because she is emotionally very much attached to Rajivji. So something can be done. Sir, through you I am requesting the Minister.

सामान्यतः हमारे यहां कुछ मंत्रालय ऐसे हैं, जैसेकि प्रौढ़ शिक्षा का है, कहीं प्रौढ़ शिक्षा नहीं दी जाती है और वह रुपया कहां चला जाता है पता नहीं

चलता। हमने किसी वृद्ध को पढ़ते नहीं देखा, रिपोर्ट जरूर दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह वृद्धों के नाम पर, आंगनवाड़ी के नाम पर रुपया तो जाता है, लेकिन उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होता है। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि केवल 15 परसेंट जो बजट में एलोकेट होता है वह जनता तक पहुंच पाता है। जो वह पैसा सही ढंग से जनता तक पहुंचे और कार्यक्रम की देखभाल के लिए लोग ईमानदारी से काम करें जो आपका कल्याण मंत्रालय है, योजना आयोग द्वारा विशेष सामाजिक समस्याओं पर कार्यदल का गठन करें और किया भी गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में विशिष्ट योजनाओं का सुझाव इस कार्यदल ने दिया है, जो योजना-आयोग के विचाराधीन है। कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट 1988–89 में इसका उल्लेख है। तो इस चीज को इम्पलीमेंट करें। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जब कार्यदल आपने बनाया, वर्किंग ग्रुप बनाए तो उसने सिफारिश की। उसको आप ऐसे मत छोड़िए बल्कि उसको एग्जीक्यूट करवाइए और योजना में पैसे का प्रावधान करवाइए।

जहां तक सुविधा देने की बात है। केन्द्र सरकार मनिआर्डर में कमीशन दे सकती है, फ्री मेडिसिन दे सकती है, फ्री होस्टल दे सकती है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के लिए ट्रेवलिंग की व्यवस्था की गई है उसी तरह से वृद्धों के लिए किया जा सकता है। अगर करना हो तो कर सकते हैं। इसी तरह से और भी उनके सामाजिक उत्थान के काम हैं, जिनको किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता का फायदा उठाया जाये, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवायें ली जाय, जो प्रौढ़ निरक्षर हैं उनको शिक्षा देने का काम उनको सौंपा जाए। सामाजिक उत्थान का काम उनको सौंपा जाए। समाज में जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का काम भी सौंपा जाए। इसके लिए निर्धारित राशि उनको सही-सही और ईमानदारी के साथ मिले।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1990 में जब जनता सरकार थी तो हरियाणा में वृद्धावस्था-पेंशन पाने वाले सभी बुजुर्गों को एक नोटिस जारी करके उनकी पेंशन बंद कर दी। पूरी पेंशन बंद कर दी, जो पहले से चली आ रही थी। यह नोटिस समाज-कल्याण विभाग की ओर से दिया गया। नोटिस में कहा गया कि जांच-प्रति के आधार पर आपको अयोग्य ठहराया गया है इसलिए आपकी पेंशन बंद की जा रही है। यह फैसला सरकार अपने बलबूते पर करती है। जांच-समिति का कोई सदस्य किसी बुजुर्ग के पास नहीं गया था। अपने आप जो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन थी वह बंद कर दी गई। इधर किसानों के उत्थान के लिए काम करके सारी बैंकिंग व्यवस्था डिस्टर्ब कर दी। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि उस जांच समिति ने जिन बुजुर्गों को अयोग्य ठहराया था, उनमें 90 वर्ष से भी अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। जांच समिति कहती है कि आपने अभी तक गलत पेंशन ली है इसलिए यह बंद की जा रही है। जांच-समिति के सदस्य तो यहां तक कहते हैं कि हमने कोई जांच ही नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है इसलिए उससे उभरने के लिए सरकार ने यह पेंशन योजना बंद कर दी है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास वृद्धावस्था पेंशन बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था? इस तरह का मजाक इस डेमोक्रेसी में हो रहा है। वे केवल परिवार में उपेक्षित नहीं होते, समाज में उपेक्षित नहीं होते, वे रिटायर्ड, अनयूसफुल आईटम और गुड्स मेटेरियल के रूप में ही ट्रीट नहीं होते बल्कि सरकार द्वारा भी उपेक्षित किए जाते हैं। तो ऐसी भी सरकारें हैं और यहां कोई भी सरकार आए, हर चीज में एक बहाना होता है कि स्टेट सब्जेक्ट है, शिक्षा को लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन को लीजिए, समाज कल्याण को लीजिए। स्वायत्तता तो आप दीजिए। हमको इन चीजों में एकरूपता रखनी पड़ेगी। महंगाई देशव्यापी बढ़ती है, स्टेटवाइज नहीं बढ़ती है। पूरे देश में

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

महंगाई बढ़ती है और उसका पूरे देश पर असर होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 4 अक्तूबर, 1990 को महामहिम राष्ट्रपति वेंकटरमन जी ने कहा था कि वृद्धों की समस्याओं के अध्ययन की जरूरत है। यह बात राष्ट्रपति जी ने वृद्धों की देखभाल और हित के लिए काम करने वाले संगठन हैल्थ एड इंडिया के प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास केन्द्र का उद्घाटन करते हुए कही थी। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि संयुक्त परिवार प्रथा के चलते वृद्धों के लिए कभी कोई समस्या नहीं रही बल्कि ज्यों-ज्यों वृद्ध होता है उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है। परन्तु, आधुनिक सभ्यता के प्रसार के साथ ही वृद्धजनों की समस्यायें और बढ़ रही हैं और वृद्धों की समस्यायें कैसी समस्या के रूप में सामने आ रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

भारत के राष्ट्रपति महामहिम वेंकटरमन जो यह बात कह रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और एकरूपता के साथ सारे वृद्धों को, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे आर्थिक सहायता की बात हो, चाहे स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा की बात हो, चाहे उनके मनोरंजन की बात हो, चाहे उनको सामाजिक उपेक्षा के स्थान पर सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात हो, चाहे उनके ज्ञान का, अनुभव का लाभ समाज मिले और उसके बदले में उनको सरकार द्वारा भुगतान हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, एडवाइजर के रूप में, प्रशिक्षकों के परामर्श-दाता के रूप में वे काम कर सकते हैं, ये काम हों। जो यह आयोजन हुआ था, जिसका राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था, उसके अध्यक्ष श्री एस एम० सभरवाल ने कहा था कि उनके संगठन ने 300 स्वयंसेवी संस्थाओं को वृद्धों की देखभाल का संस्थागत प्रशिक्षण दिया है। इस समस्या के समाधान में और भी समाज सेवी संस्थाओं का शामिल होना आवश्यक है क्योंकि उनका सहयोग अपेक्षित है। इस तरह की संस्थायें हर जिले में, हर शहर में, हर ब्लाक में बनें और ओल्ड एज पीपल्स रिक्रिएशन क्लब, उनका इंस्टीट्यूशन बने, प्रोवाइड किया जाए, सरकार की ओर से उसको प्रोत्साहित किया जाए। यह बने और ब्लाक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे संस्थान बनें और उनके संचालन की पूरी सहायता सरकार की ओर से हो।

कल्याण मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र के कुल 27 प्रदेशों में 31 मार्च, 1989 तक कुल 876 संगठन वृद्धों के कार्यरत हैं और उससे लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 43,742 थी। 1989–90 के दौरान शामिल किए गए, दिसम्बर, 1989 तक 1629 की संख्या और बढ़ी और उपर्युक्त संगठनों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले लोगों के लिए जो सहायता है, वह वृद्धों से ली जाए और इसमें सबका कल्याण होगा। कल्याण मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों के इन क्षेत्रों में पहले से विशिष्ट योजनाओं में शामिल नहीं है, क्यों वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का प्रावधान होना चाहिए ? 1983–84 से अनुदान वृद्धों के लिए दिया जा रहा है। इस योजना पर 3.86 लाख रुपयों से बढ़कर 1988–89 में 29.76 लाख रुपये अनुदान बढ़ाया गया है और यह सब उपलब्धियां समाज के प्रति हमारी सरकार के समर्पण की भावना का द्योतक हैं। लगभग 10 प्रतिशत हमने बढ़ाया है 1983 से 1990 के बीच में, इसमें और अनुदान और धनराशि बढ़ाने की जरूरत है।

वृद्धों की बात करते हुए मैं विधवाओं के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूंगा और जो कुछ मेरे भाव और विचार होंगे, उनमें जो वृद्ध ब्रिटेन में हैं, ओल्ड एज पीपल्स और विडो को भी मैं शामिल करना चाहूंगा। हम बाल सप्ताह मना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं, न जाने कितने डे मना रहे हैं यूनेस्को के सयोग से। इस सदन का एक प्रस्ताव

जाना चाहिए यूनेस्को को कि कोई दिन हम चुनें, जिस दिन को ओल्ड एज पीपल्स और विडो डे के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाए। यह प्रस्ताव भारत की संसद की ओर से यूनेस्को को जाना चाहिए और भारत से इसकी शुरूआत होनी चाहिए कि कोई न कोई दिन ओल्ड एज पीपल्स और विडो डे के रूप में मनाया जाए। जापान में 15 सितम्बर को बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। ऐसे बुजुर्गों के सम्मान की परम्परा का डिटेल में समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से अध्ययन किया जाए और अपने यहां भी बुजुर्गों के सम्मान का दिवस मनाया जाए और सारे जो अच्छे-अच्छे काम करने वाले बुजुर्ग और ओल्ड एज के लोग हैं, उनको कुछ अनुदान आदि दें, सम्मान दें, उनको पुरस्कृत करें। विधवा महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार होने से कई प्रकार से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार उनको होना पड़ता है। सामाजिक अभिशाप में वह पड़ी रहती हैं। ब्रिटेन में विधवाओं के लिए प्रति सप्ताह 10 पौंड फ्लेट रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है। आपको सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की कोई योजना जो विधवायें हैं उनके लिये बनाये। विधवाओं के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के खर्च के लिए पांच पौंड प्रति सप्ताह दिया जाता है इंग्लैंड में। क्या आप इस तरह की चीज अपने शासन में इंटरोड्यूस नहीं कर सकते हैं? विडोज-मदर एलाउंस दिया जाता है, यही व्यवस्था होनी चाहिए।

जो विधवायें होती हैं उनकी बात हो रही थी और उसमें सुश्री सरला माहेश्वरी जी ने बनारस की बात की। सबसे अधिक बनारस में

"रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी,
इससे बचे तो सेवे काशी।"

कहा गया है...(व्यवधान) सांड होता है एक दगा हुआ बैल (व्यवधान) आपकी मिनिस्ट्री में जरूरत पड़ती है उसकी (व्यवधान) तो मैं कह रहा था कि सबसे अधिक विधवा महिलायें परित्यक्ता के रूप में बंगाल से आती हैं। चाहे काशी में वह रहती हों, चाहे बनारस में वह रहती हों माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सदन को और देश को मैं बताना चाहता हूं कि अनेक भजनाश्रम बनारस में चलते हैं और उन भजनाश्रम में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लगी हुई है, ट्रस्ट बने हुए हैं। विधवाओं को एक रुपया, आठ आना दिन भर भजन करने के बाद जिसमें उनका पेट भी नहीं भरता, इतना पारिश्रमिक दिया जाता है। घरों में बर्तन मल करके, वृद्धावस्था में हांड-मांस, पसलियां उनकी सूखी हुई हैं लेकिन शारीरिक परिश्रम करके वे अपना जीवन-यापन करती हैं और वह रुपये जो तथाकथित विश्व हिन्दू परिषद् के व्यवसायी लोग हैं उन ट्रस्ट के रुपये से उनका कारखाना चल रहा है, उद्योग चल रहा है। इस तरह की बात सरकार के ध्यान में है। ऐसे लोगों पर तुरन्त एक्शन होना चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जो लोग इस सदन में उपस्थित नहीं हैं उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहिए ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : रिपोर्ट आ गई है, सी बी आई० की रिपोर्ट है। मैं कुछ दलीय धरातल से ऊपर उठकर कह रहा हूं।

सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। करोड़ों रुपये, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वह जो विधवाओं के आश्रम में खर्च के लिये ट्रस्ट के बारे में है उसका व्यवसायीकरण किया गया है। ऐसे लोगों की डिटेल पता लगाकर के उनको जेल में बन्द किया जाए और उनको आर्थिक अपराधी घोषित करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिये, जो ट्रस्ट के रुपये का ट्रस्टी हो करके दुरुपयोग करते है और विधवाओं के साथ अन्याय और छल करते हैं, जो लोग वैश्यालय चलाते हैं। विधवा के संबंध में निराला ने कहा था कि :

"वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी"

[श्री शंकर प्रसाद पाण्डेय]

दलित भारत की विधवा है-उस विधवा को बहुत मनहूस माना जाता है, किसी भी शादी ब्याह के मौके पर वह आ जाये, कहीं शुभ कार्य में बैठ जाये वह, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उसे कानून बनाकर के पुनर्विवाह की अनुमति देनी चाहिये और जो विधवा युवती के पुनर्विवाह में बाधक बनता है अथवा सामाजिक रूप से उसका तिरस्कार करता है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान बनना चाहिये और जो लोग दरिद्रता का, जो लोग अंधविश्वासहीनता का, जो लोग पति-रहित होने का फायदा उठाकर, नारी के कमजोर होने का फायदा उठा कर वेश्यावृत्ति के लिये प्रेरित करते हैं। कहीं उनको सुरक्षा नहीं है। अभी अमीना कांड सभी ने देखा जब 9-10 वर्ष की बच्ची को 65 साल के शेख के साथ निकाह करके भेज दिया गया उसके माँ-बाप ने अपने पेट की क्षुधा की तृप्ति के लिये। कई मौकों से अरब देश के मालदार लोग केरल और आंध्र में जाकर जिस तरह से छोटे-छोटे बच्चों का व्यभिचार करने के लिये शोषण करते हैं तो सरकार देखती रहती है। ऐसे बच्चों का निकाह करके वे ले जाते हैं और वे 10-12 साल की बच्चियां उनके हरम की शोभा बनती हैं। इस लिये इसकी रोकथाम के लिये कानून बनना चाहिये। जब तक उनमें यौवन है, जब तक उनमें रक्त है वे उनका शोषण करते हैं और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है या उनका बलिदान कर दिया जाता है।

महोदय, अभी वैसे पाकिस्तान की एक खबर यही कि सिंध में किसी आदमी ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया। उस आदमी को 70 कोड़े मारे गये और 15 वर्ष की सजा दी गई। इस तरह के कानून बनाने में समाज कल्याण विभाग और भारत सरकार क्यों हिचकती है?

इस संबंध में मुझे एक कविता याद आ रही है-

"तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में,
कुछ सत्ता है नारी की।
समता है, समता नहीं
अधिकार और अधिकारी की॥
नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नभ पग पग में।
पीयूष श्रोत सी बहा करो,
जीवन के हर अंतरतम में॥

ये पंक्तियां सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं नारी के संबंध में, लेकिन इसका क्या फायदा है?

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं जब प्राइवेट मेंबर बिल पर बोलता हूं तो राम अवधेश सिंह आज यहां पर नहीं हैं वह हर बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं और सारे लोग चाहते हैं कि मैं और बोलूं।

महोदय, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिये महिला प्रशिक्षण केन्द्र अथवा संस्थान की योजना 1977 में प्रारंभ की गई थी। आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं पर्यावरण परिस्थितियों से उत्पन्न विपत्तियों के कारण महिलाओं को अधिक दुख झेलना पड़ता है। विधवायें, अविवाहित मातायें और अपहरण की शिकार हुई महिलायें आदि प्रभावित होने वाले कुछ अति संवेदनशील वर्ग हैं। जीविकोपार्जन, लंबी बीमारी या किसी अपराध में कैद होने और पति द्वारा परित्यक्त महिलाओं के निराश्रित होने के कई कारण हैं। ऐसी महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और आवास की योजनायें प्रदान करने की तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के निमित्त इस योजना को चलाया गया। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार तथा कार्यान्वयन संगठनों द्वारा इसका व्यय 44:45:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। सोसाइटियों या न्यासों के रूप में पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियों, जिला ग्रामीण विकास

एजेंसियों, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकाय इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के प्रारंभ में 20,955 महिलाओं के लिये 606 प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं।

इसी प्रकार महिलाओं और लड़कियों को संरक्षण प्रदान कर पुनः स्थापित किये जाने जिन्हें पारिवारिक समस्याओं के कारण सामाजिक और नैतिक खतरे, मानसिक तनाव, सामाजिक अन्याय, शोषण या अन्य कारणों से खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

4 p.m.

महिलाओं के लिये जितनी कानूनी तौर पर सुविधायें दी गई हैं उनके आधार पर भारत को स्वर्ग बन जाना चाहिये था। लेकिन आए दिन बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज के कारण जलाया जाना आदि समाचार छपते रहते हैं। इन सभी हालातों में सुधार के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग की संस्थापना की गई। किन्तु पिछले दशकों के इतिहास को देखने से साबित होता है कि मात्र कानून बनाने से ही सुधार संभव नहीं है। समाज में सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अलग एक शोषण का अड्डा है। वहां के जो संचालक लोग होते हैं वे खुद नारी देह की ठेकेदारी शुरू कर देते हैं और ये महिलाओं के जितने भी आश्रम हैं, इनमें से अधिकांश व्यभिचार के अड्डे बन जाते हैं। उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने आपको पाकिस्तान का उदाहरण दिया। आपको उस तरह का कानून बना कर कुछ करना होगा। ऐसी महिलायें जो परिवार द्वारा उपेक्षित उनकी समस्याओं के समाधान के लिये आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आज उन्हें जो सामाजिक और नैतिक खतरे हैं, जो मानसिक तनाव है समाज में जो अनाचार शोषण, अत्याचार है, उनको जिस खतरनाक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उन सबको ध्यान में रख कर महिलाओं के विकास के लिये आप बजट में कुछ प्रावधान अवश्य

आठवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा जदो-दो सरकारों ने की। हमारी सरकार बनायेगी आठवीं पंचवर्षीय योजना।

महोदय, राजीव गांधी ने जो निराश्रित महिलाओं और बच्चों के कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, उसके लिये उन्होंने 1989-90 के बजट में 14,000 लाख रुपए मुख्य शीर्ष और 100 हजार लाख रुपये का प्रावधान उपशीर्ष में किया था। आप उसको कार्यान्वित कराइये। महोदय, महिलाओं को कानूनी तौर पर जितनी सुविधायें दी गई हैं उनके आधार पर अब तक भारत को स्वर्ग बन जाना चाहिए था लेकिन आए दिन बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज के कारण जलाए जाने के समाचार हमें अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी लेकिन पिछले इतिहास को देखने से पता चलता है कि मात्र कानून बना देने से ही सुधार नहीं हो जाता है। समाज में आर्थिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।

महोदय, हमने इसी सदन में नारी अश्लीलता निरूपण विधेयक पास किया था और यह व्यवस्था की थी कि नारी को अश्लील रूप में विज्ञापित नहीं किया जायगा लेकिन अगर आप अखबार उठाकर देखें तो उसके पीछे के पृष्ठों पर उत्तेजना उत्पन्न करने वाले, वासनाजन्य कृत्य के लिये उत्तेजित करने वाले सिनेमा के विज्ञापन होते हैं, कैबरे के विज्ञापन होते हैं। महोदय, उस विधेयक को पास करने के बाद जिस तेजी से नारी को नग्न करने का आंदोलन चला है खुलेआम, वह बहुत शर्मनाक है। उसको रोकने के लिये हमारी कथनी, करनी और आचरण में एकरूपता आनी चाहिये।

महोदय, हमारे देश में वृद्ध को विधाता के समान माना जाता रहा है। सारा जीवन वह बिता देता है, तब जाकर वह ज्ञान, अनुभव प्राप्त करता है और

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

अन्त में मृत्यु को प्राप्त होता है । नारी जो है वह करुण की प्रतिमूर्ति है लेकिन "नारी का अपमान अनल है, अबला अखिल विश्व का बल है ।"

नारी में जो शक्ति है, वह अद्भुत है । लेकिन जब नारी की मांग का सिंदूर अग्नि की ज्वाला में जलता है और नारी को ओर वासना की दृष्टि से देखने वाले लोग उसका दैहिक शोषण करने के लिये आगे बढ़ते हैं तब हमारा कानून मौन हो जाता है और आंखों पर पट्टी बांध लेता है । उस कानून का हम क्या करें ? महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस शासन में वृद्धों का सम्मान नहीं होगा, विधवाओं का सम्मान नहीं होगा, नारी का सम्मान नहीं होगा, वह देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता ।

अन्त में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । भारत की जो आबादी है उसमें जो विधवायें और वृद्ध हैं, उनके कल्याण के लिये कुछ ठोस योजनायें बनाई जायें उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के समान सुविधायें दी जायें । समाज में जो संपन्न वर्ग है और जो भौतिक सुख-सुविधा संपन्न वर्ग है, उसकी भौतिकता का सुख-साधन छीनकर इन लोगों पर खर्च किया जाय । एक गंभीर चिंता का विषय है । महिला कल्याण और विकास ब्यूरो देश में महिलाओं के विकास और कल्याण के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हो । कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल इत्यादि की व्यवस्था तो आप करते हैं लेकिन विधवा, बूढ़ी स्त्रियों के लिये क्या करने जा रहे हैं यह बताया जाये ? जैसा मैंने लंदन का एक उदाहरण आपके सामने रखा ऐसे ही कुछ न कुछ होना चाहिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में । जो वृन्दावन में युवतियों के साथ विधवा के नाम पर व्यभिचार केन्द्र चल रहा है, भजन, पूजन, जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय राम, जय राम, जय शिव, जय शिव करती है और दूसरी तरफ उनका दैहिक शोषण होता है, सामाजिक अपमान होता है । समाज से जिनको निकाल दिया जाता है उनको आश्रम में जगह मिलती है और पेट की ज्वाला मिटाने के लिये मुट्ठीभर दाने के लिये वह अपना शारीरिक शोषण कराती हैं । बहुत सी नौजवान महिलायें विधवा हो जाती हैं और जो समाज से पीड़ित होकर आश्रम में जाती हैं उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार, व्यभिचार और पता नहीं क्या-क्या किया जाता है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता । उसको चलाने वाले लोग समाज में सफेद पोश नेता समाज सुधार के ठेकेदार बने हुये दिख ई देते हैं । हमने सती प्रथा का अंत किया था गुलामी के दिनों में, राजाराम मोहन राय ने किया था । हमने वृद्धों का सम्मान किया था इस समाज में । महात्मा गांधी वृद्ध थे । उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी । जवानी के दिन उन्होंने अध्ययन में बिता दिये और अध्ययन के बाद सामाजिक शक्ति के उत्थान में बिता दिये और जब मैन्चेस्टर हुये तब उन्होंने 1920 से लेकर 1947 तक भारत को स्वतंत्र करके दिखाया । वृद्धों के लिये कुछ न कुछ होना चाहिये । जिस समाज में वृद्धों का सम्मान नहीं होता जिस समाज में नारी के लिये बड़े-बड़े गीत गाये जाते हैं ऊंची से ऊंची बात की जाती है उसको एक खिलौना समझा जाता है । ऐसे समाज का उत्थान नहीं हो सकता । हम विश्वास करते हैं कि हमारी कांग्रेस की जो नई सरकार आई है, नरसिंह राव जी के नेतृत्व में शासन संभाले हुये हैं वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पंवारी जी जो वृद्ध और विधवा महिलाओं के उत्थान के लिये ठोस विधेयक लाये हैं उस पर विचार किया जाय और 5 सौ करोड़ रुपये इन दोनों के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में मंजूर कराये यह सरकार । अगर नहीं मंजूर होते हैं तो सीताराम केसरी जो कल्याण मंत्री हैं और उनके राज्य मंत्री को सरकार छोड़ देनी चाहिये । पांच सौ करोड़ रुपये कम से कम वृद्धों की सहायता के लिये और विधवा महिलाओं की सहायता के लिये विभिन

योजनाओं में कार्यान्वित करने के लिये लड़कर लिये जाने चाहिये। जो सौ करोड़ रुपये राजीव गांधी ट्रस्ट के हैं उसको अनिवार्य रूप से इसमें इनवेस्ट करिये और इस वर्ष के 1991-92 के बजट में 20 करोड़ रुपये का जो प्रावधान राजीव गांधी फंड के लिये उसको भी डाइवर्ट करिये इन विधवाओं के लिये और वृद्धों के लिये इन शब्दों के साथ भाई पचौरी जो विधेयक लाये हैं उसका समर्थन करता हूं और उस पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I think I have given you enough time today. Now I will call Shri S. S. Ahluwalia to introduce his Bills. He has come and requested me to allow him to introduce his Bills and I have permitted him.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1991 (TO AMEND ARTICLES 15, 16 AND 340)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1991 (अनुच्छेद 15, 16 और 340 के संशोधनार्थ) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1991 (TO AMEND ARTICLES 75 AND 164)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान (संशोधन) विधेयक 1991 (अनुच्छेद 75 और 164 के संशोधनार्थ) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE MARGINAL FARMERS AND AGRICULTURE WORKERS WELFARE FUND BILL, 1991

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सीमांत किसानों और कृषि कर्मकारों के लाभ के लिये एक कल्याण निधि की स्थापना करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE FINANCIAL RELIEF TO OLD PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990—Contd.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी का यह जो फाइनेंशियल रिलीफ मे ओल्ड परसन्स विडोज बिल, 1990 है इसके विषय में मैं अपने विचार देना चाहती हूं। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगी कि वयस्क या वृद्ध व्यक्तियों की समस्या कुछ और है तथा विधवाओं की समस्या कुछ अलग है। इन दोनों समस्याओं को एक साथ जोड़कर विधेयक नहीं लाना चाहिये था। सचमुच में विधवा महिलाओं के बारे में कोई विशेष चिंता व्यक्त करनी है तो उसके लिये अलग विधेयक होना आवश्यक था। वृद्धों की समस्या अपनी जगह पर अलग है और सारी दुनिया में है। सारी दुनिया में इन लोगों को एल्डर सिटीजन कहा जाता है और इन एल्डर सिटीजन के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा जा रहा है। इस